



Office of the Chairman, Railway Recruitment Cell (RRC),  
Lajpat Nagar-1, New Delhi-24.

No. 220-E/RRC/GDCE/Rectt./2023

Date: 29.08.2023

## NOTICE

**Ref:-** GDCE Notification no. 01/2023/GDCE/RRC dated 28/07/2023 & GMP Letter no. 220-E/1906/GDCE/R&P/2019 dated 26/07/2023 & 03.08.2023

\*\*\*\*\*

With reference to the detailed General Department Competitive Examination (GDCE) Notification No. 01/2023/GDCE for filling up 323 vacancies for various posts vide which Applications were invited from serving regular eligible Railway Employees over Northern Railway, Rail Coach Factory Kapurthala, and Diesel Loco Modernization Works Patiala for filling up vacancies against GDCE 2023.

It is further advised to serving Regular Eligible Railway Employees who have applied under Notification No. 01/2023/GDCE/RRC Northern Railway that –

1. About 8000 serving Regular Eligible Railway Employees who have applied under Notification No. 01/2023/GDCE/RRC Northern Railway but have not uploaded the PDF should upload the PDF of the application form duly signed by the concerned Supervisor and Head of the Department by the closing date.
2. Those Serving regular eligible Railway employees who have already applied but entered wrong data by mistake can edit their correct details and take a printout of the edited form, and get it signed and forwarded by the concerned Senior Supervisor and their Controlling Officer and upload the same before closing date.
3. Those serving regular eligible Railway employees who have filled ITI and Diploma in the column of Educational Qualification but have not mentioned their trade of ITI and discipline of Diploma. They have to compulsorily fill the trade of ITI and discipline of Diploma. **But they are not required to get the form resigned by the Senior Supervisor and Controlling Officer. They can upload only self-attested PDF.**

The application can be modified by 02.09.2023 (23.00 hrs) only. If the correction is not done till the closing date then again no employee will be given a chance to modify the form.

(Mansi Verma)  
Chairperson/RRC



कार्यालय अध्यक्ष, रेलवे भर्ती सेल (आरआरसी),  
लाजपत नगर-1, नई दिल्ली-24

क्रमांक 220-ई/आरआरसी/जीडीसीई/रेक्ट./2023

दिनांक: 29.08.2023

## सूचना

**संदर्भ:-** जीडीसीई अधिसूचना संख्या। 01/2023/जीडीसीई/आरआरसी दिनांक 28/07/2023 एवं जीएमपी पत्र क्रमांक. 220-ई/1906/जीडीसीई/आर&पी/2019 दिनांक 26/07/2023 एवं 03.08.2023

\*\*\*\*\*

सामान्य विभाग प्रतियोगी परीक्षा (जीडीसीई) अधिसूचना संख्या 01/2023/जीडीसीई के संदर्भ में विभिन्न पदों के लिए 323 रिक्तियों को भरने के लिए जिसके तहत उत्तर रेलवे, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स पटियाला में कार्यरत नियमित पात्र रेलवे कर्मचारियों से जीडीसीई 2023 के तहत रिक्तियों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

अधिसूचना संख्या 01/2023/जीडीसीई/आरआरसी उत्तर रेलवे के तहत आवेदन करने वाले नियमित योग्य रेलवे कर्मचारियों को यह सलाह दी जाती है कि -

1. लगभग 8000 सेवारत नियमित पात्र रेलवे कर्मचारी, जिन्होंने अधिसूचना संख्या 01/2023/जीडीसीई/आरआरसी उत्तर रेलवे के तहत आवेदन किया है, लेकिन पीडीएफ अपलोड नहीं किया है, वे संबंधित पर्यवेक्षक से अग्रेषित करवाकर एवं सम्बंधित विभाग प्रमुख/कंट्रोलिंग ऑफिसर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आवेदन पत्र की पीडीएफ अंतिम तिथि तक अपलोड करें।
2. सेवारत नियमित पात्र रेलवे कर्मचारी जिन्होंने पहले ही आवेदन कर दिया है लेकिन गलती से गलत डेटा दर्ज कर दिया है, वे अपना सही विवरण संपादित कर सकते हैं और संपादित फॉर्म का प्रिंटआउट ले सकते हैं, और इसे संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षक और उनके नियंत्रण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और अग्रेषित करवाकर समापन तिथि से पहले अपलोड कर सकते हैं।
3. सेवारत नियमित पात्र रेलवे कर्मचारी जिन्होंने शैक्षिक योग्यता के कॉलम में आईटीआई और डिप्लोमा भरा है लेकिन अपने आईटीआई की ट्रेड और डिप्लोमा का नाम (डिप्लोमा किस स्टीम में है) का उल्लेख नहीं किया है। उन्हें आईटीआई का ट्रेड और डिप्लोमा की स्टीम अनिवार्य रूप से भरना होगा। लेकिन उन्हें वरिष्ठ पर्यवेक्षक और नियंत्रण अधिकारी द्वारा फॉर्म पर दोबारा हस्ताक्षर कराने की आवश्यकता नहीं है। वे केवल आवेदन फॉर्म की स्वप्रमाणित पीडीएफ ही अपलोड कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन में केवल 02.09.2023 को 23.00 बजे तक ही संशोधन किया जा सकता है। यदि अंतिम तिथि तक सुधार नहीं किया गया तो दोबारा किसी भी कर्मचारी को फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा।

(मानसी वर्मा)  
अध्यक्ष/आरआरसी